नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94/791— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथाविनिदिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शें में दर्शाए गए गांव लखनौला, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची

गांव लखनौला, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के इर्द-गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 421/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बन्दु 'क' से लेकर जो कि ड्राईंग में दिखाये गए अनुसार गांव लखनौला की आयत संख्या 13 का उत्तर—पश्चिमी कोना है, इसके बाद पूर्व की ओर गांव लखनौला की आयत संख्या 13,12,11 की उत्तरी सीमा के साथ—2 उस बिन्दु तक जहां यह गांव सिकन्दरपुर बड़ा की सीमा से मिलती है, इसके बाद उत्तर की ओर गांव सिकन्दरपुर बड़ा की आयत संख्या 24 और 20 की पश्चिमी सीमा के साथ—2, इसके बाद पूर्व की ओर गांव सिकन्दरपुर बड़ा की आयत संख्या 19 के उत्तर—पूर्वी कोने से मिलती है।

पूर्वी: इसके बाद दक्षिण की ओर गांव सिकन्दरपुर बड़ा लखनौला की पूर्वी सीमा और गांव नौरंगपुर की उत्तर—पूर्वी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'ग' तक जहां यह उस नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है, जिसे 28 जनवरी, 1981 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0 डी0 91 / 725, दिनांक 22 जनवरी 1991 द्वारा गांव नारंगपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आसपास के क्षेत्र को पहले ही नियन्त्रित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

दक्षिणः इसके बाद पश्चिम की ओर 28 जनवरी, 1991 को प्रकाशित हरियाणा हरियाण राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी0–91/725, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा गांव नौरंगपुर के प्राथमिक विद्यालय के आसपास के घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ–2 बिन्दु 'घ' तक यहां यह 28 जनवरी, 1991 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी0–750, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा गांव मानेसर के राजकीय उच्च विद्यालय के आसपास पहले ही घोषित क्षेत्र का उत्तर-पूर्वी सीमा से मिलती है, बिन्दु 'ड.' तक जो कि उक्त गांव की पश्चिमी सीमा पर गांव लखनौला की आयत संख्या 48 का दक्षिण–पश्चिमी कोना है।

पश्चिमः इसके बाद, उत्तर की ओर गांव लखनौला की पश्चिमी सीमा के साथ–2 बिन्दु 'क' तक अर्थात् आरम्भिक बिन्दु।

प्रदीप कुमार,

आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

122

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/791- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government High School at village Lakhnaula, tehsil and district Gurgaon as appended in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of the controlled area around Government High School at village Lakhanaula, tehsil and district Gurgaon to be read with Drawing No. DTP(G) 414/93, dated 25th May, 1993.

North: Starting from point 'A' which is the north-west corner of Rect. No. 13 of village Lakhnaula as shown on the drawing, thence towards east along northern boundary of Rect. Nos. 13, 12,11 of village Lakhanaula upto the point where it meets with the boundary of village Sikandarpur Badha, thence towards north along western boundary of Rect. No. 24 and 20 of village Sikandarpur Badha, thence towards east along northern boundary of Rect. No. 20 and 19 of village Sikandarpur Badha upto point 'B' where it meets North-East corner of Rect. No. 19 of village Sikandarpur Badha.

East: Thence, towards south along the eastern boundary of village Sikandarpur Badha, Lakhanaula and north-eastern boundary of village Naurangpur upto point 'C' where it meets with the boundary of the controlled area already declared around Govt. Primary School of village Naurangpur, - vide Haryana Govt. Gazette Notification No. JD-91/725, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991.

South: Thence towards west along the boundary of already declared controlled area around Primary School of village Naurangpur, - vide Haryana Govt. Gazette Notification No. JD-91/725, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991 upto point 'D' where it meets with the north-eastern boundary of controlled area already declared around Gov.t. High School of village Manesar,-vide Haryana Govt. Gazette Notification No. JD-750, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991 upto point 'E' which is south-western corner of Rect. No. 48 of village Lakhanaula on western boundary of said village

West: Thence, towards north along the western boundary of village Lakhanaula upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.